विधानसभा में सभापति संदीप शर्मा और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा के बीच तीखी नोंकझोंक

कांग्रेस विधायकों ने वैल में उतरकर हंगामा और नारेबाजी की, आसन के अपमान पर सत्ता पक्ष ने भी विपक्ष को जमकर घेरा

-विधानसभा संवाददाता-

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में गुरूवार को बिल पर बहस के दौरान सभापति संदीप शर्मा और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बीच जमकर नोकझोंक हो गई। डोटासरा के सभापति के प्रति बर्ताव को लेकर सत्तापक्ष ने कड़ी आपत्ति की, इस पर दोनों तरफ से जमकर हंगामा और नारेबाजी हुई। देखते ही देखते कांग्रेस और बीजेपी के विधायक आमने-सामने हो गए। काफी देर हंगामे के बीच ही बिल पर बहस चलती रही, हंगामा बढ़ने पर सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित करनी पड़ी।

दरअसल कांग्रेस विधायक हरिमोहन शर्मा दुकान वाणिज्यिक अधिष्ठान बिल पर बहस में बोल रहे थे। इसी दौरान सभापति संदीप शर्मा ने हरिमोहन शर्मा को वक्त ध्यान दिलाते हुए घंटी बजाई। इस पर गोविंद सिंह डोटासरा ने आपत्ति जताते हुए कहा कि बिल पर बहस के दौरान किसी विधायक को घंटी बजाकर टोकने की परंपरा नहीं है। यह गलत हो रहा है, आप घंटी नहीं बजा सकते।

इसी बात को लेकर डोटासरा और सभापति संदीप शर्मा के बीच जमकर बहस और नोकझोंक हुई। सभापति संदीप शर्मा ने कहा कि आप इस तरह बात नहीं कर सकते हैं, चेयर का सम्मान करना होता है, यह गलत है। सभापति से नोकझोंक करते देख मंत्रियों और बीजेपी विधायकों ने कड़ा ऐतराज जताया।

संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि आसान को धमकाया जा रहा है, यह बर्दाश्त नहीं होगा।

नोकझोंक के बाद बीजेपी विधायकों ने कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की। सभापति संदीप शर्मा ने कहा कि आप चेयर का अधिकार कैसे छीन सकते हैं? घंटी बजाने का अधिकार कैसे छीन लेंगे? मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि यह कोई नाथी का बाड़ा नहीं है। आसन पर टिप्पणी की जा रही है, वह सरासर गलत है।

इसी बीच कांग्रेस विधायकों ने वैल में आकर नारेबाजी शुरू कर दी। डोटासरा ने हंगामे के बीच सभापति पर टिप्पणी करना जारी रखा। इस पर सभापति ने कहा कि आपकी हरकतें सड़क छाप हैं। सड़क छाप आप लग रहे हो। ये आपके संस्कार हैं क्या? इस तरह नहीं चल सकता। अपनी भाषा पर गौर कीजिए।

कांग्रेस विधायकों के हंगामे और नारेबाजी के बीच नोकझोंक चलती रही। इस बीच संदीप शर्मा की जगह सभापति अर्जुनलाल जीनगर चेयर पर आ गए। जीनगर ने शांत होने का आग्रह किया, लेकिन कांग्रेस विधायकों ने नारेबाजी जारी रखी। डोटासरा ने सभापति पर टिप्पणियां जारी रखी तो जीनगर ने आपत्ति जताई। हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित कर दी।

विधानसभा की कार्यवाही फिर से शुरू होने के बाद स्पीकर वासुदेव देवनानी चेयर पर आए। डोटासरा ने कहा कि बिल पर हरिमोहन शर्मा के बोलने के दौरान सभापति ने घंटी बजाकर टोका तो मैंने उनसे कहा था कि यह उचित नहीं है। इसके बाद सभापति संदीप शर्मा ने बहुत ही आक्रामक होकर टिप्पणियां कीं, इनका मेडिकल टेस्ट करवाएं। स्पीकर ने इस पर आपत्ति करते हुए कहा कि संदीप शर्मा उस वक्त सभापति के तौर पर चेयर पर थे, उनके खिलाफ इस तरह कमेंट नहीं कर सकते। यह कार्यवाही से निकाला जाएगा।

वहीं दूसरी ओर संदीप शर्मा ने कहा कि, डोटासरा ने मानसिक विकृत व्यक्ति जैसी हरकतें कीं। इनकार व्यवहार बिल्कुल भी ससंदीय नहीं था। मेडिकल टेस्ट इनका भी होना चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि गोविंद सिंह डोटासरा ने सभापति के प्रति बहुत ही ओछी टिप्पियां कीं।

इनका व्यवहार किसी भी रूप से संसदीय परंपराओं के अनुकूल नहीं था। स्पीकर पूरी कार्यवाही की रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, डोटासरा ने ऐसी ऐसी टिप्पणणियां कीं, जो कोई कहने की सोच भी नहीं सकता। सदन में बने गतिरोध पर स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कहा कि जो कुछ हुआ है, उसे देखा जाएगा।

सभापति को मैंने ही कहा था कि सबको 5-5 मिनट बोलने का समय देना है। इस पूरे मामले को देखा जाएगा, मैं पूरी कार्यवाही देखूंगा, उसके बाद फैसला होगा।

- दोनों पक्षों तू-तू-मैं-मैं होने के कारण सदन की कार्यवाही भी आधे घंटे स्थगित करनी पड़ी
- दरअसल विवाद की शुरूआत तब हुई, जब सभापति ने कांग्रेस विधायक हरिमोहन शर्मा को वक्त का ध्यान दिलाते हुए घंटी बजाई। इस पर आपत्ति जताते हुए डोटासरा ने कहा कि ''बिल पर बहस के दौरान किसी विधायक को घंटी बजाकर टोकने की परंपरा नहीं है। यह गलत हो रहा है, आप घंटी नहीं बजा सकते।''
- डोटासरा द्वारा लगातार टिप्पणियों से नाराज होकर सभापति संदीप शर्मा ने कहा कि ''आपकी हरकतें सड़क छाप हैं, यह आपके संस्कार है क्या? आप इस तरह बात नहीं कर सकते हैं, चेयर का सम्मान करना होता है। आप आसन का अधिकार कैसे छीन सकते हैं? घंटी बजाने का अधिकार कैसे छीन लेंगे?''

राज सखी स्टोर्स, रूरल विमेन बीपीओ जैसे नवाचारों से आधी आबादी होगी सशक्त

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में महिला आत्मनिर्भरता को मिली नई उडान

जयपुर (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, उन्हें आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से मजबूत करने तथा महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए निरंतर महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है। राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष के बजट में भी रूरल विमेन बीपीओ, राज सखी स्टोर, अमृत पोषण वाटिकाओं का निर्माण, किशोरी बालिका योजना का विस्तार, मुख्यमंत्री लखपति दीदी ऋण योजना के अंतर्गत ऋण सीमा में वृद्धि सहित ऐसी अनेक घोषणाएं की गई हैं, जिससे आधी आबादी सशक्त एवं आत्मनिर्भर बन सके।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

- भजनलाल सरकार ने बजट में महिला सुरक्षा एवं सम्मान के अनेक प्रावधान किए

राज्य सरकार द्वारा महिला सशक्तीकरण एवं वित्तीय समावेशन के तहत किए जा रहे प्रयासों से प्रदेशभर में 16 लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को आर्थिक संबल देने एवं रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध करवाने के लिए 100 करोड़ रुपये का व्यय कर जिला स्तर पर रूरल विमेन बीपीओ स्थापित किये जाएंगे। साथ ही, मुख्यमंत्री लखपति दीदी ऋण योजना के तहत ऋण सीमा भी एक लाख रुपये से बढ़ाकर एक लाख 50 हजार रुपये करने का बजटीय प्रावधान किया गया है, जिससे महिला उद्यिमता को और अधिक प्रोत्साहन मिल सके। राजीविका के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक नवाचार किए जा रहे हैं। सरकार द्वारा इस वर्ष की बजटीय घोषणा के तहत राजीविका के अन्तर्गत संगठित 100 क्लस्टर लेवल फेडरेशन के कार्यालय एवं अन्य उपयोग के लिए भवन उपलब्ध करवाये जायेंगे। साथ ही, इन कार्यालयों में डिजिटल एवं वित्तीय साक्षरता के लिए 'सक्षम सेंटर' भी शुरू किए जाएंगे। स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाये गये उत्पादों की बेहतर ब्रांडिंग, डिजाइनिंग एवं पैकेजिंग कर डेयरी, टैक्सटाइल, फुटवियर, मिलेट्स एवं मसाले इत्यादि से सम्बन्धित क्षेत्रों के 50 नवीन एंटरप्राइजेज स्थापित किये जायेंगे। साथ ही, राज्य सरकार द्वारा इन उत्पादों की ब्रिक्री के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से समन्वय भी किया जाएगा। राज्य सरकार महिला उद्यिमता को प्रोत्साहन देने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

इसी क्रम में सभी संभागीय मुख्यालयों पर 'राज सखी स्टोर्स' स्थापित किए जाएंगे, जिससे राजीविका से जुड़ी महिलाओं को उद्यम को सफल बनाने के लिए आवश्यक क्षमता संवर्द्धन मिल सके। इस हेतु सभी जिलों में चरणबद्ध रूप से सेंटर फोर एंटरप्रेन्योरशिप एण्ड कैपिसिटी बिल्डिंग स्थापित किये जायेंगे।

मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत ऋण की सीमा 50 लाख से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान भी किया गया है। वहीं, स्वयं सहायता समूह की लगभग 5 हजार महिलाओं को प्रशिक्षित कर 'बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट' सखी बनाया जायेगा।राज्य सरकार द्वारा महिला स्वयं सहायता समूह की आजीविका संवर्द्धन के लिए 11 हजार अमृत पोषण वाटिकाओं का निर्माण किया जाएगा, जिससे आंगनबाड़ी केन्द्रों व स्कूलों में मिड-डे-मील के लिए स्थानीय स्तर पर फल, सब्जी भी उपलब्ध हो सकेंगे। राज्य सरकार द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए भी अर्ली चाइल्डहुड केयर एण्ड एजुकेशन कोर्स करवाया जाएगा। साथ ही, प्रदेश की एक हजार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रतिष्ठित संस्थानों से विशिष्ट प्रशिक्षण दिलवाया जायेगा। इस वर्ष के बजट में आकांक्षी जिले करौली, धौलपुर, बारां, जैसलमेर एवं सिरोही में संचालित 'किशोरी बालिका योजना' का विस्तार किया गया है। अब यह योजना राज्य के समस्त 27 आकांक्षी ब्लॉक्स में शुरू की जाएगी, जिससे 50 हजार से अधिक किशोरी बालिकाएं पूरक पोषाहार से लाभान्वित हो सकेंगी। राजकीय कार्यालयों में कार्यालय समय में 6 माह से 6 वर्ष के बच्चों की देखभाल के लिए चरणबद्ध रूप से 'मुख्यमंत्री शिशु-वात्सल्य सदन' खोले जायेंगे।

महिलाओं के विरूद्ध सार्वजनिक स्थानों पर छेड़छाड़, घरेलू हिंसा एवं अन्य अपराधों की रोकथाम के लिए कार्यरत कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की संख्या को चरणबद्ध रूप से 500 से बढ़ाकर 600 किया जाएगा। वहीं, 100 पुलिस थानों में महिला बैरक विकसित किये जायेंगे। पर्यटकों की सुरक्षा व सहयोग के लिए पर्यटन सहायता बल कैडर का सुदृढ़ीकरण हेतु महिला सुरक्षाकर्मियों एवं गाइड्स की नियुक्ति की जायेगी। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में महिलाओं को मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री-किट, लाडो प्रोत्साहन, मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्द्धन, मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन, सोलर दीदी एवं लखपति दीदी जैसी योजनाओं से आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। महिलाएं इन योजनाओं से लाभान्वित होकर सशक्त हुई हैं तथा उनकी निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ी है। इन प्रयासों से महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। साथ ही, वे राज्य के विकास में अहम भागीदारी भी सुनिश्चित करेंगी।

'आसन की अवमानना और अमर्यादित आचरण विधायी परंपराओं के विरुद्ध'

सत्ता पक्ष के विधायकों ने डोटासरा के खिलाफ अनुशंसात्मक कार्रवाई की मांग उठाई

जयपुर (विसं)। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विपक्षी सदस्यों द्वारा आसन ( ) के प्रति किए गए अमर्यादित व्यवहार और असंसदीय शब्दावली के प्रयोग की सत्ता पक्ष के विधायकों ने कड़े शब्दों में निंदा की। विधानसभा परिसर में मीडिया से रूबरू होते हुए विधायक संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण), कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत, मदन दिलावर और विधायक गुरुवीर सिंह (सादुलशहर) ने संयुक्त रूप से विपक्ष के आचरण को लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताया।

घटनाक्रम के समय सभापति की भूमिका निभा रहे विधायक संदीप शर्मा ने बताया कि सदन की कार्यवाही नियमों और तय समय सीमा (5 मिनट) के अधीन संचालित की जा रही थी। जब सदस्यों को समय सीमा समाप्त होने का संकेत देने के लिए घंटी बजाई गई, तो विपक्ष के वरिष्ठ सदस्यों द्वारा आसन को चुनौती देना और उग्र होकर बदतमीजी करना दुर्भाग्यपूर्ण है।

उन्होंने कहा कि आसन पर बैठे व्यक्ति को सदन की व्यवस्था बनाए रखने का पूर्ण अधिकार है, किंतु विपक्ष ने व्यक्तिगत टिप्पणी कर सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाई है।

कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि कांग्रेस सदस्यों का व्यवहार विधायी गुंडागर्दी जैसा प्रतीत होता है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल के नेता द्वारा सभापति के विरुद्ध जिस प्रकार की असंसदीय भाषा और विकृत मानसिकता का प्रदर्शन किया गया, उसे पूरे राजस्थान की जनता ने देखा है। यह केवल एक सदस्य का नहीं, बल्कि पूरे सदन और जनता के विश्वास का अपमान है।

सत्ता पक्ष के अनुसार, विपक्षी सदस्य रचनात्मक बहस के बजाय सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालने और सुर्खियां बटोरने का प्रयास कर रहे हैं।

मदन दिलावर और गुरुवीर सिंह ने कहा कि विपक्ष का सदन में इस तरह का आचरण पहले भी देखा गया है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से इस पूरे घटनाक्रम की फुटेज की समीक्षा करने और दोषियों के विरुद्ध कठोर विधिक एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने का आग्रह किया है उन्होंने कहा कि एक जिम्मेदार विपक्ष को तार्किक सुझाव देने चाहिए, न कि सदन को अखाड़ा बनाकर व्यक्तिगत आक्षेप करने चाहिए।

विधानसभा में होगा महिलाओं का सम्मान

जयपुर (विसं)। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर स्पीकर वासुदेव देवनानी की पहल पर राजस्थान विधानसभा और राजस्थान प्रवासी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में शुक्रवार को सांय तीन बजे विधानसभा में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस सम्मान समारोह 2026 का आयोजन होगा। स्पीकर देवनानी की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले आयोजन में प्रदेश की उपमुख्यमंत्री, महिला मंत्री, सांसद विधायकों सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली प्रेरणादायी महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। देवनानी बताया कि समारोह का उद्देश्य समाज, राजनीति, प्रशासन तथा विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के नेतृत्व, योगदान और उपलब्धियों को सम्मानित करना है। प्रवासी नारी और महिला विधायकों का संकल्प, राजस्थान की शक्ति विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम में महिला शक्ति, नेतृत्व क्षमता और समाज के विकास में उनकी भूमिका को रेखांकित किया जाएगा।

दो माह में 4249 साइबर शिकायतों का निस्तारण

जयपुर। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के निर्देश पर जयपुर दक्षिण जिले में चलाए गए विशेष साइबर अभियान में दो माह में 4 हजार 249 साइबर शिकायतों का निस्तारण किया है। पुलिस उपायुक्त (दक्षिण) राजर्षि राज ने बताया कि 1 जनवरी से 28 फरवरी 2026 तक चलाए गए अभियान के दौरान वर्ष 2025 की कुल 7 हजार 483 साइबर शिकायतों में से 4 हजार 249 (करीब 57 प्रतिशत) का निस्तारण किया गया। इस अभियान के तहत अशोक नगर, चाकसू, सोडाला और मानसरोवर सर्किल में विशेष कार्रवाई की गई। मानसरोवर सर्किल में सर्वाधिक 65.55 प्रतिशत शिकायतों का निस्तारण किया गया।

- पुलिस ने 30 लाख रुपए के 121 मोबाइल बरामद

पुलिस उपायुक्त (दक्षिण) ने बताया कि जनवरी-फरवरी 2026 में साइबर सेल की टीम ने सीईआईआर पोर्टल और तकनीकी सहायता से गुम हुए 121 मोबाइल फोन (कुल कीमत करीब 30 लाख रुपये) ट्रेस कर बरामद किए और परिवादियों को सुपुर्द किए।

पुलिस उपायुक्त (दक्षिण) ने बताया कि ऑपरेशन वज्र प्रहार 2.0 के तहत 1 जनवरी 2025 से 28 फरवरी 2026 तक साइबर ठगी से जुडी 8.54 करोड़ रुपये से अधिक की राशि अपराधियों के खातों में होल्ड करवाई गई। साथ ही 27.56 लाख रुपये की राशि रिकवर कर पीड़ितों के खातों में रिफंड करवाई गई। राजर्षि राज ने बताया कि साइबर जागरूकता के तहत 15 स्कूल-कॉलेजों में अभियान चलाकर 5000 से अधिक विद्यार्थियों और आमजन को जागरूक किया गया। समन्वय पोर्टल के माध्यम से विभिन्न राज्यों में वांछित 300 साइबर अपराधियों की तलाश कर संबंधित थानों को कार्रवाई के लिए सूचित किया गया।

ग्राम विकास अधिकारी रिश्वत लेते गिरफ्तार

जयपुर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की प्रतापगढ़ टीम ने गुरुवार को कार्रवाई करते हुए ग्राम विकास अधिकारी यशवंत जोशी और दलाल राजमल (ई-मित्र संचालक) को 8 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी डीजी गोविंद गुप्ता ने बताया कि इस ट्रैप कार्रवाई में सामने आया कि परिवादी से मकान के पट्टे की रजिस्ट्री कराने के एवज में कुल 12 हजार रुपये की मांग की गई थी। शिकायत के अनुसार ग्राम पंचायत सुहागपुरा के ग्राम विकास अधिकारी तथा ग्राम पंचायत कचोटिया के अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे यशवंत जोशी ने दलाल राजमल के माध्यम से रिश्वत की मांग की। सत्यापन में यह पुष्टि हुई कि 8 हजार रुपये रजिस्ट्री से पहले और शेष राशि बाद में देने का तय हुआ था।

अमेरिकी न्यायालय के फैसले से भारतीय आयातकों को 88 बिलियन डॉलर रिफंड राशि मिलेगी : सीए सुनील भार्गव

भार्गव का कहना है कि अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय के न्यायमूर्ति रिचर्ड के. ईटन ने इस संबंध में 4 मार्च 2026 को फैसला सुनाया

जयपुर (कासं)। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून विशेषज्ञ सीए सुनील भार्गव का कहना है कि अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय के 4 मार्च 2026 के फैसले से भारतीय आयातकों को 88 बिलियन की रिफंड राशि मिलेगी। उन्होंने बताया कि अमेरिकी न्यायालय ने विवादास्पद 25 प्रतिशत आईईईपीए शुल्क के बिना सभी गैर-निपटाए आयात प्रविष्टियों के तत्काल निपटान का आदेश दिया, साथ ही इन अब-अमान्य शुल्कों के साथ पहले से निपटाई गई प्रविष्टियों के लिए धनवापसी को अनिवार्य किया। न्यायमूर्ति रिचर्ड के. ईटन का 4 मार्च, 2026 का आदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार

सीए सुनील भार्गव

के लिए एक निर्णायक क्षण है, जो संभावित रूप से केवल भारतीय आयातकों के लिए 88 अरब डॉलर की धनवापसी खोलता है। सीए भार्गव का कहना है कि आईईईपीए शुल्क के तहत 48 अरब डॉलर और रूसी तेल शुल्क के तहत अतिरिक्त 40 अरब डॉलर राशि मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह फैसला संयुक्त राज्य अमेरिका में 3 लाख से अधिक आयातकों को प्रभावित करता है, जिनमें से केवल 3000 ने न्यायालय में धनवापसी की मांग करते हुए मुकदमा दायर किया था।

न्यायमूर्ति ईटन ने अपने फैसले को अमेरिकी संविधान के एकरूपता खंड में स्थापित किया, जो यह अनिवार्य करता है कि ''सभी शुल्क, आयात और उत्पाद शुल्क संयुक्त राज्य अमेरिका में एकसमान होंगे।'' सभी शुल्क धनवापसी मामलों पर अपने विशेष अधिकार का दावा करते हुए, न्यायमूर्ति ईटन ने कहा कि किसी अन्य न्यायाधीश द्वारा कोई परस्पर विरोधी निर्णय देने की कोई गुंजाइश नहीं है।

उन्होंने चेतावनी दी कि अन्यथा मानने से वैध दावों वाले लोगों के लिए धनवापसी के त्वरित दावों में बाधा उत्पन्न होगी और उन आयातकों को पूरी तरह से इनकार कर दिया जाएगा, जिन्होंने मुकदमा दायर नहीं किया है, सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले का लाभ जो आईईईपीए आयात को गैरकानूनी घोषित करता है।

मोनू मानेसर को मिली जमानत

जयपुर (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट ने भरतपुर के पहाड़ी इलाके में रहने वाले नासिर और जुनैद की हत्या से जुड़े मामले में आरोपी मोनू मानेसर को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस अनिल कुमार उपमन ने यह आदेश आरोपी की जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता अश्विनी गर्ग ने बताया कि प्रकरण में याचिकाकर्ता बीते करीब ढाई साल से जेल में बंद है। वहीं सह आरोपी अनिल कुमार को गत 28 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली चुकी है। प्रकरण में पेश आरोप पत्र के 74 गवाहों में एक गवाह से भी जिरह नहीं हुई है। ऐसे में प्रकरण की सुनवाई पूरी होने में लंबा समय लगने की संभावना है। ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए। जिसका विरोध करते हुए सरकारी वकील ने कहा कि घटना में दो लोगों की मौत हुई है।

ऐसे में याचिकाकर्ता पर लगे आरोपों को देखते हुए उसे जमानत नहीं दी जाए। गौरतलब है कि 16 फरवरी, 2023 को हरियाणा में बोलेरो गाडी में दो जली हुई लाशें मिली थी, बाद में पता चला की ये लाश राजस्थान के भरतपुर जिले में रहने वाले नासिर और जुनैद की हैं। घटना को लेकर मृतक के परिजनों ने पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया था। जिसमें कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 11 सितंबर, 2023 मोनू मानेसर को गिरफ्तार किया था।

प्रदेश में जर्जर स्कूल भवनों की मरम्मत को लेकर मुख्य सचिव से शपथ पत्र मांगा

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि 19 मार्च को मुख्य सचिव शपथ पत्र पेश करते हुए बताएं कि प्रदेश के जर्जर सरकारी स्कूलों के निर्माण और मरम्मत की क्या कार्य योजना है?

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों के जर्जर भवनों से जुड़े मामले में मुख्य सचिव को शपथ पत्र पेश करने को कहा है। अदालत ने मुख्य सचिव को कहा है कि वे 19 मार्च को शपथ पत्र पेश कर बताए कि स्कूलों के निर्माण और मरम्मत की क्या कार्य योजना है। अदालत ने राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि क्या हम यह आदेश पारित कर दें कि आगामी सत्र से केवल उन्हीं स्कूलों में कक्षाएं संचालित की जाए, जिनके भवनों को चार्टेड इंजीनियर सही माने। जस्टिस महेन्द्र गोयल और जस्टिस अशोक कुमार जैन की खंडपीठ ने यह आदेश झालावाड स्कूल हादसे के बाद लिए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए।

- अदालत ने राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि क्या हम यह आदेश पारित कर दें कि आगामी सत्र से केवल उन्हीं स्कूलों में कक्षाएं संचालित की जाए, जिनके भवनों को चार्टेड इंजीनियर सही माने।
- हाईकोर्ट ने कहा कि ''यदि अभी भी हालात नहीं सुधरे तो हम आगामी जुलाई माह के बाद केवल अस्पताल और स्कूल इमारत बनाने के अलावा अन्य किसी भी नए निर्माण की अनुमति नहीं देंगे।''

सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि यदि अभी भी हालात नहीं सुधरे तो हम आगामी जुलाई माह के बाद केवल अस्पताल और स्कूल इमारत बनाने के अलावा अन्य किसी भी नए निर्माण की अनुमति नहीं देंगे। अदालत ने कहा कि यह देखना हमारा काम नहीं है कि राज्य सरकार को पैसा कहां से मिलेगा। राज्य सरकार बाध्य है कि वह प्रदेश में स्कूली बच्चों को सुरक्षित और पर्याप्त संसाधन मुहैया कराए। अदालत ने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार बच्चे अभी भी गंदी जगहों पर पढ रहे हैं। प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार भरतपुर में बीस साल पुरानी बिल्डिंग में दरारें आ गई थी। अदालत ने कहा कि आंधी-तूफान की वजह से स्कूल भवनों में दरारें आ जाती है, निर्माण के दौरान क्या इन भवनों को तय मापदंड नहीं अपनाए जाते। पूर्व में शिक्षा सचिव ने शपथ पत्र पेश कर कहा था कि कोई भी पुरानी इमारत काम में नहीं ली जा रही, फिर ऐसी घटनाएं कैसे हो रही हैं। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार को देखना चाहिए कि कोई भी स्कूल दो मंजिल से ऊंची नहीं हो और छोटे बच्चों की कक्षाएं ग्राउंड फ्लोर पर ही हो। अदालत ने इस बात पर भी चिंता जताई कि कई माह बीतने के बाद भी केवल आधा दर्जन स्कूलों में ही मरम्मत का काम शुरू हुआ है।

देवनानी ने किया पोस्टर का विमोचन

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने गुरूवार को यहां राजस्थान विधान सभा में सिविल डिफेन्स वॉलिंटियर्स कार्निवल के पोस्टर का विमोचन किया। देवनानी ने बताया कि नागरिक सुरक्षा सेवा के वरिष्ठ स्वयं सेवकों के लिए राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन तीन से पांच अप्रेल तक अजमेर के पुष्कर में होगा। सम्मेलन का विषय जन सुरक्षा की गारंटी है। इस मौके पर नागरिक सुरक्षा से जुडे वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।